प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 28.02.2018

माननीय वित्त मंत्री, श्री जयंत मलैया ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2018-2019 का बजट प्रस्तुत किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2018-2019 के बजट में कुल विनियोग राशि ₹ 204642.44 करोड़ एवं कुल शुद्ध व्यय ₹ 186685.24 करोड़ का प्रावधान।
- वर्ष 2018-2019 के लिये ₹ 262.55 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2018-2019 का राजकोषीय घाटा ₹ 26780.25 करोड़ होना संभावित है, जो कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3.25% के भीतर है।

- वर्ष 2018-2019 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 155886.47 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 54655.24 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 59489.92 करोड़, करेत्तर राजस्व ₹ 10933.78 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 30807.53 करोड़ शामिल है।
- वर्ष 2018-2019 में वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2018-2019 में राजस्व व्यय ₹ 155623.92 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से ₹ 134496.76 करोड़ से 15.71 % अधिक है।
- वर्ष 2017-2018 में पूंजीगत परिव्यय ₹ 29798.03 करोड़ (पु.अ.) से बढ़कर वर्ष 2018-2019 में ₹ 31061.32 करोड़, 4.24% की वृद्धि।
- पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% है।
- वर्ष 2018-2019 का प्रारंभिक शेष ₹ -80.90 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ 13.43 करोड़ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 67.47 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सब स्कीम) के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 में ₹ 27474.57 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम) के अंतर्गत वर्ष 2018-2019 में ₹ 18734.71 करोड़ का प्रावधान।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 3.24 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का प्रतिशत 0.03 %
- ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 8.25 %

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषि बजट के लिये वर्ष 2018-19 में ₹ 37,498 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिये ₹ 3,650 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ₹ 2,000 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत ₹ 1,000 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ₹ 418 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु ₹ 382 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना अंतर्गत ₹ 123 करोड़ का प्रावधान।
- सब मिशन आन एग्रोकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) तथा सब मिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल योजनाओं के लिये क्रमशः ₹ 65 करोड़ तथा ₹ 58 करोड़ का प्रावधान।
- ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान (एस. एम. ए. एम.) योजना के लिये ₹ 51 करोड़ का प्रावधान।

उद्यानिकी

- उद्यानिकी विभाग अंतर्गत ₹ 1,158 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान।
- उद्यानिकी भावान्तर भुगतान योजना के लिये ₹ 250 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹ 92 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के लिये ₹ 63 करोड़ का प्रावधान।
- फसल बीमा योजना के लिये ₹ 51 करोड़ का प्रावधान।

वानिकी एवं पर्यावरण

- वन विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 2,687 करोड़ का प्रावधान।
- समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) हेतु ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।
- वन अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण के लिये ₹ 51 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु ₹ 15 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यावरण विभाग हेतु ₹ 61 करोड़ का प्रावधान।

सहकारिता

- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु ₹ 633 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना अंतर्गत ₹ 350 करोड़ का प्रावधान।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत ₹ 233 करोड़ का प्रावधान।
- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत ₹ 65 करोड़ का प्रावधान।

पशुपालन एवं मछुआ कल्याण

- पशुपालन विभाग अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के लिये ₹ 210 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत ₹ 79 करोड़ का प्रावधान।
- डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियां योजना अंतर्गत ₹ 21 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना अंतर्गत ₹ 18 करोड़ का प्रावधान।
- मछुआ कल्याण विभाग अंतर्गत नील क्रांति (ब्लू रिवोल्यूशन) योजना हेतु ₹ 15 करोड़ का प्रावधान।
- मत्स्य बीज उत्पादन योजना अंतर्गत ₹ 14 करोड़ का प्रावधान।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 18,165 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये ₹ 6,600 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ₹ 2,500 करोड़ का प्रावधान।
- निर्मल भारत अभियान योजना के लिये ₹ 2,234 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये ₹ 2,000 करोड़ का प्रावधान।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना के लिये ₹ 1,100 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन योजना के लिये ₹ 633 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन योजना के लिये ₹ 622.50 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (बाह्य वित्त पोषित) योजना के लिये ₹ 500 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के लिये ₹ 330 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) के लिये ₹ 285 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य ग्रामीण सड़क कनेक्टीविटी योजना के लिये ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।

नगरीय विकास एवं आवास

- नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 11,932 करोड़ का प्रावधान।
- हाउसिंग फॉर ऑल योजना अंतर्गत ₹ 1,700 करोड़ का प्रावधान।
- अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन योजना अंतर्गत ₹ 935 करोड़ का प्रावधान।
- स्मार्ट सिटी हेतु ₹ 700 करोड़ का प्रावधान।
- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अंतर्गत ₹ 400 करोड़ का प्रावधान।
- स्वच्छ भारत अभियान के लिये ₹ 315 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु ₹ 105 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के लिये ₹ 91 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम के लिये ₹ 77 करोड़ का प्रावधान।

सड़क एवं पुल

- लोक निर्माण विभाग के लिये ₹ 8,780 करोड़ का प्रावधान।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) अंतर्गत ₹ 1,150 करोड़ का प्रावधान।
- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित) योजना अंतर्गत ₹ 1,000 करोड़ का प्रावधान।
- एन्यूटी अंतर्गत ₹ 661 करोड़ का प्रावधान।
- म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान।
- पुलों के निर्माण हेतु ₹ 500 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्य जिला मार्गो तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण योजना के लिये ₹ 400 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्य जिला मार्गो का उन्नयन योजना के लिये ₹ 350 करोड़ का प्रावधान।
- म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों के निर्माण लिये ₹ 340 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड) योजना हेतु ₹ 275 करोड़ का प्रावधान।

सिंचाई सुविधा

- सिंचाई परियोजनाओं में पूंजीगत मद में ₹ 9006 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा बेसिन कम्पनी लिमिटेड का निवेश योजना अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउद्देश्यीय परियोजना अंतर्गत ₹ 275 करोड़ का प्रावधान।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत ₹ 3,245 करोड़ का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 2,986 करोड़ का प्रावधान।
- खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था योजना के लिये ₹ 535 करोड़ का प्रावधान।

- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिये ₹ 451 करोड़ का प्रावधान।
- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना के लिये ₹ 376 करोड़ का प्रावधान।
- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये ₹ 341 करोड़ का प्रावधान।
- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण योजना के लिये ₹ 271 करोड़ का प्रावधान।
- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना के लिये ₹ 124 करोड़ का प्रावधान।

स्कूल शिक्षा

- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 21,724 करोड़ का प्रावधान।
- सर्वशिक्षा अभियान योजनांतर्गत ₹ 3,109 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन योजनांतर्गत ₹ 750 करोड़ का प्रावधान।
- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय योजनांतर्गत ₹ 121 करोड़ का प्रावधान।
- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन योजना हेतु ₹ 113 करोड़ का प्रावधान।
- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय योजनांतर्गत ₹ 62 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना के लिये ₹ 30 करोड़ का प्रावधान।

उच्च शिक्षा

- म. प्र. उच्च शिक्षा में सुधार (विश्व बैंक परियोजना) योजना अंतर्गत ₹ 281 करोड़ का प्रावधान।
- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि योजना हेतु ₹ 134 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन योजना अंतर्गत ₹ 92 करोड़ का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत गांव की बेटी योजना अंतर्गत ₹ 38 करोड़ का प्रावधान।

तकनीकी शिक्षा

- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास) योजना अंतर्गत ₹ 210 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत ₹ 170 करोड़ का प्रावधान।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार योजना के लिये ₹ 154 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कौशल्या योजना अंतर्गत ₹ 60 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत ₹ 60 करोड़ का प्रावधान।

जनजातीय कार्य

- जनजातीय कार्य विभाग के लिये ₹ 6,861 करोड़ का प्रावधान।
- विशिष्ट संस्था कन्या शिक्षा परिसर योजना अंतर्गत ₹ 492 करोड़ का प्रावधान।
- सीनियर छात्रावास के लिये ₹ 356 करोड़ का प्रावधान।
- पोस्टमैट्रिक आहार अनुदान योजना अंतर्गत ₹ 300 करोड़ का प्रावधान।
- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1) योजनान्तर्गत ₹ 256 करोड़ का प्रावधान।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास योजनान्तर्गत ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण

- पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के लिये ₹ 992 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना के लिये ₹ 828 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये ₹ 36 करोड़ का प्रावधान।
- जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण योजना के लिये ₹ 21 करोड़ का प्रावधान।

अनुसूचित जाति कल्याण

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य) के लिये ₹ 300 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति छात्रावास योजना के लिये ₹ 241 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिये ₹ 70 करोड़ का प्रावधान।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिये ₹ 54 करोड़ का प्रावधान।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनाओं हेतु ₹ 5,689 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत ₹ 1,975 करोड़ का प्रावधान।
- बहुउद्देश्यीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिये ₹ 241 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत ₹ 2016 करोड़ का प्रावधान।
- विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹ 199 करोड़ का प्रावधान।
- स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना योजना के लिये ₹ 97 करोड़ का प्रावधान।
- पी.एम.एम.एस.वाय. परियोजना अंतर्गत सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल की स्थापना हेतु ₹ 60 करोड़ का प्रावधान।

- चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण हेतु ₹ 25 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में 2000 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हेतु ₹ 25 करोड़ का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में टी.बी. चेस्ट विभाग की स्थापना हेतु ₹ 13 करोड़ का प्रावधान।

आयुष

- आयुष विभाग अंतर्गत ₹ 438 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिये ₹ 1,519 करोड़ का प्रावधान।
- आँगनवाड़ी सेवायें के लिये ₹ 936 करोड़ का प्रावधान।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये ₹ 909 करोड़ का प्रावधान।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के लिये ₹ 642 करोड़ का प्रावधान।
- किशोरी बालिका योजना के लिये ₹ 275 करोड़ का प्रावधान।

ऊर्जा

- ऊर्जा क्षेत्र अंतर्गत ₹ 1,77,98 करोड़ का प्रावधान।
- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अंतर्गत 274 करोड़ का प्रावधान।
- टैरिफ अनुदान हेतु ₹ 6,025 करोड़ का प्रावधान।
- विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अनुदान योजना अंतर्गत ₹ 4,622 करोड़ का प्रावधान।
- म.प्र.वि.मं. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/ग्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु, योजना अंतर्गत ₹ 3,187 करोड़ का प्रावधान।

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

- निवेश प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 687 करोड़ का प्रावधान।
- औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

- वृद्धजनों के लिये संचालित तीर्थ यात्रा योजना हेतु ₹ 200 करोड़ का प्रावधान।
- धार्मिक आस्था के स्थलों के जीर्णोद्धार के लिये ₹ 18 करोड़ का प्रावधान।

श्रम

- श्रम विभाग अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु ₹ 100 करोड़ का प्रावधान।

संस्कृति एवं पर्यटन

- संस्कृति विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 243 करोड़ का प्रावधान।
- पर्यटन अधोसंरचना का विकास योजना के लिये ₹ 70 करोड़ का प्रावधान।

आनन्द एवं प्रवासी भारतीय

- आनन्द विभाग हेतु ₹ 8.50 करोड़ का प्रावधान।
- प्रवासी भारतीय विभाग के रुप में नये विभाग का गठन।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत ₹ 577 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत ₹ 419 करोड़ का प्रावधान।
- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन की आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) अंतर्गत ₹ 150 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिये ₹ 80 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत ₹ 76 करोड़ का प्रावधान।
- जनश्री बीमा योजना अंतर्गत ₹ 35 करोड़ का प्रावधान।
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना अंतर्गत ₹ 25 करोड़ का प्रावधान।

कानून व्यवस्था

- गृह विभाग की योजनाओं के लिये ₹ 6,897 करोड़ का प्रावधान।
- बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा हेतु ₹ 147 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 84 करोड़ का प्रावधान।
- महिला पुलिस बल हेतु पुलिस थानों में अधोसंरचना विकास के लिये ₹ 40 करोड़ का प्रावधान।

राजस्व

- राजस्व विभाग अंतर्गत ₹ 3996 करोड़ का प्रावधान।

विधि एवं विधायी कार्य

- विभाग अन्तर्गत ₹ 1582 करोड़ का प्रावधान।

वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान - विभागवार विवरण

(राशि करोड़ में)

सरल क्रमांक	विभाग का क्रमांक एवं विभाग का नाम	पुनरीक्षित अनुमान 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019
1	01 सामान्य प्रशासन विभाग	533.73	649.02
2	02 गृह विभाग	5,980.92	6,897.18
3	03 जेल विभाग	299.60	336.54
4	04 वित्त विभाग	30,620.66	38,939.77
5	05 वाणिज्यिक कर विभाग	2,140.98	2,744.16
6	06 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग	205.79	247.58
7	07 राजस्व विभाग	3,657.14	3,996.46
8	08 परिवहन विभाग	108.03	106.33
9	09 खेल एवं युवक कल्याण विभाग	185.42	224.22
10	10 खनन विभाग	2,274.68	2,687.22
11	11 उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	797.11	939.67
12	12 खनिज साधन विभाग	684.61	750.75
13	13 ऊर्जा विभाग	18,615.12	17,797.91
14	14 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	4,960.79	9,278.95
15	15 सहकारिता विभाग	1,418.43	1,627.71
16	16 श्रम विभाग	174.37	320.90
17	17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4,748.80	5,689.24
18	18 नगरीय विकास एवं आवास विभाग	11,404.18	11,932.41
19	19 लोक निर्माण विभाग	8,007.74	8,779.72
20	20 स्कूल शिक्षा विभाग	17,872.72	21,724.05
21	21 विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1,094.85	1,582.80
22	22 पंचायत विभाग	5,432.60	5,913.93
23	23 योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	723.87	817.77
24	24 जन संपर्क विभाग	324.16	412.07
25	25 जनजातीय कार्य विभाग	5,588.06	6,861.38
26	26 सामाजिक न्याय एवं दिव्यजन कल्याण विभाग	1,887.92	2,092.25
27	27 नर्मदा घाटी विकास विभाग	2,468.86	3,244.62
28	28 पुनर्वास विभाग	0.44	0.76
29	29 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,613.65	1,635.36
30	30 संस्कृति विभाग	199.77	243.06
31	31 जल संसाधन विभाग	6,297.91	7,030.07
32	33 पर्यटन विभाग	248.40	238.48
33	34 लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	2,061.52	2,986.18
34	35 पशुपालन विभाग	842.11	1,038.83
35	36 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग	79.15	91.89
36	38 उच्च शिक्षा विभाग	1,891.09	2,244.97
37	41 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	203.30	307.65
38	42 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	931.58	1,501.01
39	43 लोक सेवा प्रबंधन विभाग	84.17	90.14
40	45 विमानन विभाग	41.59	35.56
41	47 भोपाल गैस त्रासदी, राहत तथा पुनर्वास विभाग	102.78	133.61
42	48 संसदीय कार्य विभाग	88.46	92.14
43	50 महिला एवं बाल विकास विभाग	3,985.89	4,835.98
44	52 कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	221.69	242.33
45	53 चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,801.40	2,016.53
46	54 पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग	748.39	992.37
47	55 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	1,288.92	1,278.53
48	58 ग्रामीण विकास विभाग	17,907.05	18,164.91
49	59 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग	792.64	1,158.06
50	60 आयुष विभाग	383.14	438.97
51	61 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग	153.40	273.80
52	62 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग	38.97	53.63
53	64 प्रवासी भारतीय विभाग	0.00	1.00
54	65 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	933.26	852.44
55	66 पर्यावरण विभाग	0.00	60.82
56	67 आनंद विभाग	0.00	8.50
		1,75,152.08	2,04,642.44

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2018-19 तक वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण

क्र	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2018-19	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड	₹ 1,86,685 करोड	लगभग नौ गुना वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 54,655 करोड	आठ गुना से अधिक वृद्धि
3	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	₹ 4,231 करोड़	₹ 59,490 करोड	चौदह गुना वृद्धि
4	केन्द्र से सहायता अनुदान	₹ 1,773 करोड़	₹ 30,808 करोड	सत्रह गुना से अधिक वृद्धि
5	राजस्व व्यय	₹ 18,765 करोड़	₹ 1,55,624 करोड	आठ गुना वृद्धि
6	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड	₹ 31,061करोड	ग्यारह गुना वृद्धि
7	ब्याज भुगतान	₹ 3,207 करोड़	₹ 12,867 करोड	ब्याज भुगतान में केवल चार गुना की वृद्धि
8	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,476 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 262.55 करोड (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से लगातार राजस्व आधिक्य की स्थिति है
9	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	8.25 प्रतिशत	लगभग एक तिहाई के करीब है
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का प्रतिशत	2.80 प्रतिशत	3.76 प्रतिशत	निरंतर वृद्धि हो रही है
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	3.24 प्रतिशत	FRBM Act द्वारा निर्धारित 3.25 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	22.71 प्रतिशत	एक तिहाई की कमी आई है
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 8,26,106 करोड़	लगभग आठ गुना वृद्धि

राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2016-17	पुनरीक्षित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2019-20	2020-21	2021-22
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	0.59	0.08	0.03	आधिक्य	आधिक्य	आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	4.32	3.49	3.24	3.25	3.25	3.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	25.37	27.29	26.34	26.79	27.20	27.56
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	21.36	23.31	22.71	23.53	24.26	24.90